तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.3.18	पत्रावली वास्ते जवाब (बहस प्रार्थना पत्र) दिनांक 1.5.18 को पेश हो।
1.5.18	पीठासीन अधिकारी [illegible] से बाहर दौरे/अवकाश [illegible] कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पालना में दिनांक 15.6.18 को पेश हो। आदेशानुसार रीडर
	न्याय आपके द्वार अभियान - 2018 लोक अदालत
15.6.18	पत्रावली कैम्प लोहरवाड़ा में पेश हुई। प्रा. पत्र 0-22 नियम [illegible] सी.पी.सी. बाबत [illegible] स्वीकार किया जाता है। वादी के परिवार रेकार्ड पर लिये जाते हैं। वादी अधिवक्ता ने पूर्व में सुशील कुमार का शपथ पत्र पेश किया व निर्णय आदेश की प्रति पेश की जो शामिल है। [illegible] को [illegible] वादी पक्ष [illegible] चाहिए [illegible] निर्णय [illegible] किया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार [illegible] व दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत कैम्प कोर्ट : लोहरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 18 / 2012
कैम्प ग्रा.पंचायत :– लोहवाडा

उनवान

1 लादूलाल पुत्र बालचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम लोहरवाडा, हाल निवासी राजनारायण रोड नसीराबाद (मृतक जरियें वारिसान)
1/1. पदमा देवी पत्नी लादूलाल
1/2. सुशील कुमार पुत्र लादूलाल
1/3. राजेश कुमार पुत्र लादूलाल
1/4. सुनिता देवी पुत्री लादूलाल समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम लोहरवाडा, हाल निवासी राजनारायण रोड नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 15.6.18

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 1726 रकबा 14–13–0 वादी को दिनांक 16.7.02 को नियमन की गयी। उपरोक्त नियमन आदेश की पालना नामान्तरकरण संख्या 659 दिनांक 23.8.02 से वंर्किग जमाबंदी में की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रसत आराजी के हाल खसरा नम्बर 1676, 1677 व 3192 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः हाल खसरा नम्बर 1676 रकबा 1.72, 1677 रकबा 0.19 व 3192 रकबा 3.87 में से 0.42 का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी नियमन के तथ्य रेकार्ड से सिद्व करे। सिवायचक दर्ज करने का कारण वादी ने नही दर्शाया है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी को विधिवत नियमन हुयी थी ?
   —— वादी
2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
   —— वादी
3. अनुतोष ?

वाद विचारण के दौरान वादी की मृत्यु होने से उसके वारिसान को प्रकरण में वादी पक्षकार के रूप में मुर्तिब किया गया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में सुशील कुमार के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व नियमन आदेश पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्व्यं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत कैम्प कोर्ट लोहरवाडा

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 1726 रकबा 14-13-0 वादी लादूलाल पुत्र बालचन्द को कैम्प ग्राम पंचायत लोहरवाडा में दिनांक 30.6.02 को नियमन हुयी वादी द्वारा प्रस्तुत नियमन आदेश दिनांक 16.7.02 अनुसार कलक्टर महोदय, अजमेर के पत्र कंमाक राजस्व/2002/3551-54 दिनांक 12.4.02 के निर्देशानुसार कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं नियमन हेतु ग्राम व ग्राम पंचायत लोहरवाडा में निर्धारित दिनांक 30.6.02 को आवंटन समिति की बैठक में अतिक्रमण व नियमन के प्रकरणों का परीक्षण करके राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भ आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत (जो अजमेर जिले के भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये जोडी गयी) नियमन की सिफारिश करने से वादी को उक्त आराजी नियमन करने के आदेश अन्य व्यक्तियों के साथ जारी किये गये। व आदेश कंमाक 69 दिनांक 16.7.02 द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर व आवंटन प्रभारी प.स. श्रीनगर ने उक्त आदेश वादी के पक्ष में जारी किये। जिसकी कम संख्या 43 में वादी को आराजी मुतनाजा नियमन किये जाने के आदेश जारी है। एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर व आवंटन प्रभारी प.स. श्रीनगर ने अपने पत्र कंमाक राजस्व अभियान/02/321-25 दिनांक 16.7.2 द्वारा उक्त नियमन आदेश की पालना राजस्व अभिलेख में करने हेतु तहसीलदार नसीराबाद व पटवारी हल्का लोहरवाडा को लिखा है। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वादी के पक्ष में आराजी मुतनाजा के नियमन का नामान्तरकरण संख्या 659 दिनांक 5.8.02 को भरा गया जो दिनांक 23.8.02 को स्वीकार किया गया। तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण आदेश की पालना में वादी को आराजी मुतनाजा का खातेदार भी दर्ज कर दिया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 1726 रकबा 14-13-0 के हाल खसरा नम्बर 1676 मिन रकबा 1.72, 1677 रकबा 0.19 व 3192 मिन रकबा 0.56 बने है जो हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कर दिये है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वादी को उक्त आराजी विशेष राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से नियमन की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के नियमन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने के अधिकारी है। किन्तु हाल खसरा नम्बर 1677 रकबा 0.19 की किस्म गै.मु. मोरी दर्ज होने के कारण वादी उक्त खसरा नम्बर पर खातेदारी प्राप्त के अधिकारी नही है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को ग्राम लारेहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 1676 रकबा 1.72 व 3192 रकबा 0.56 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुससार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 15.6.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

पाठासीन अधिकारी
लोक अदालत/केम्प कोर्ट लोहरवाडा

न्याय आपके द्वार 2018
कैम्प कोर्ट :– लोहरवाडा
डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

लादूलाल बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88,188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 18/12
पेश करने की दिनांक – 11.1.12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को ग्राम लारेहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 1676 रकबा 1.72 व 3192 रकबा 0.56 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुससार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 15 माह 6 सन् **2018** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी (seal)